राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–384/2017..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स मैरी प्रोडक्ट प्रा0 लिमिटेड, जयपुर

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/03/2017	**एकलपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 203/अपील्स–तृतीय/स्थगन/2016–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय सथल का दिनांक 31.01.2015 को सर्वेक्षण किये जाने पर, व्यवसाय स्थल पर पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, तृतीय प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 61 व 75(8) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.10.2016 पारित करते हुए कर रूपये 71,440/–, धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 81,982/–, धारा 75(8) के तहत शास्ति रूपये 1,52,245/– एवं धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 10,653/– कुल रूपये 3,16,320/– की मांग कायम की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38(4), आदेश दिनांक 27.12.2016 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में अवशेष बकाया मांग राशि रूपये 3,16,320/– की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री पंकज घीया एवं प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने, अपीलीय आदेश व कर निर्धारण आदेश का अवलोकन करने के पश्चात, प्रकरण में कर के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः वेट अधिनियम की धारा 61 व 75(8) के तहत आरोपित शास्ति एवं धारा 55 के तहत आरोपित ब्याज की सीमा तक **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–384/2017..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स मैरी प्रोडक्ट प्रा0 लिमिटेड, जयपुर

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/03/2017	**प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 3,16,320/– में से कर राशि रूपये 71,440/– जमा कराने का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तथा शेष राशि बाबत कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। **अध्यक्ष** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	